राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीम का थाना

न्यायालय बइजलास अनिल कुमार (आर.ए.एस) अति० जिला कलक्टर, नीम का थाना
पीठासीन अधिकारी का नामः– अनिल कुमार (आर.ए.एस)
अपील संख्याः– 46 / 2023

उनवान

1. नन्द सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह,
2. निरू सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह,
3. पिन्टू सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह,
4. विक्रम सिंह पुत्र श्री अजुर्न सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी मण्डा तन देवीपुरा तहसील श्रीमाधोपूर जिला नीम का थाना राजस्थान

––––––अपीलान्ट्स

बनाम

1. उप–तहसीलदार, उप–तहसील अजीतगढ़ जिला नीम का थाना
2. तहसीलदार, तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीम का थाना।

––––––––रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 13.02.2023 नायब तहसीलदार अजीतगढ़ बसिलसिले मुकदमा उनुवानी सरकार बनाम नन्दसिंह, महेन्द्रसिंह, निरूसिंह, पिन्टूसिंह, विक्रमसिंह आदि मु. नं. 290/23 अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम
अपील अ. धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– श्री हरीश उज्ज्वल एडवोकेट ––––– **अपीलान्टस**

निर्णय दिनांकः– **09.02.2024**

संक्षेप्त में अपील अपीलान्ट के तथ्य इसप्रकार से है कि पटवारी हल्का देवीपुरा के दिनांक 20.01.2023 को रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार अजीतगढ़ के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की गई कि नन्द सिंह, महेन्द्र सिंह, निरू सिंह, पिन्टू सिंह, विक्रम सिंह पुत्रगण अर्जुन सिंह जाति राजपूत निवासी मण्डा तन देवीपुरा तहसील अजीतगढ़ जिला सीकर हाल जिला नीम का थाना ने भूमि खसरा नं. 51 रकबा 2.15. है० किस्म बंजड़ 2 के रकबा 0.15 है० पर तथा भूमि खसरा नं. 34 रकबा 1.44 है० किस्त बंजड़ 2 के रकबा 0.40 है० भूमि पर पत्थर व तार मिट्टी की डोल लगाकर उक्त सिवायचक भूमि पर अनधिकृत नाजायज कब्जा कास्त किया है, ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का ग्राम पंचायत हाथीदेह की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिनस्थ न्यायालय उप–तहसीलदार अजीतगढ़ के द्वारा दिनांक 01.02.2023 को अपीलान्टस के धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर पत्रावली को दर्ज रजिस्टर कर आगामी पेशी 08.022023 सुनवाई हेतु नियत रखी गयी। सुनवाई हेतु नियत उक्त तारीख पेशी 08.02.2023 को अधिनस्थ न्यायालय उप–तहसीलदार अजीतगढ़ ने कतई विधि विरूद्ध एवं कानूनी प्रक्रिया के कतई विपरित जाकर नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त को दरगुजर करते हुये कतई अवैध एवं औचित्यहिन आदेशिका इस आशय पारित की गई कि "पत्रावली पेश हुई। गैर–सायल महेन्द्र सिंह उपस्थित। गैर–सायल नन्द सिंह, निरू सिंह, पिन्टू सिंह व विक्रम सिंह बावजूद नोटिस तामिल व बार–बार आवाज लगाने के उपरान्त भी अनुपस्थित। गैर–सायल नन्द सिंह, निरू सिंह,

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:15:01 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना

पिन्टू सिंह व विक्रम सिंह (जो उक्त अपील की पत्रावली में अपीलान्ट के रूप में दर्ज है।) के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रक्रिया विधि के विरूद्ध जाकर उक्त अवैध आदेशिका पारित करते समय इस तथ्य पर आद्योपान्त उध्ययन किये बिना कि प्रकरण में गैर–सायल नन्द सिंह, निरू सिंह, पिन्टू सिंह, विक्रम सिंह को दफा 91 एल.आर.एक्ट. के नोटिस की उक्त गैर–सायलान पर व्यक्तिगत रूप से पर्याप्त एवं सम्यक तामिल नहीं हुई है, इसके बावजूद उक्त महत्व पूर्ण तथ्य को नजर अन्दाज कर अपीलान्टस को सम्यक रूप से प्रकरण में पर्याप्त रूप से सुनवाई के संवैधानिक अधिकार से वंचित कर प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धान्त को दरगुजर करते हुये कतई विधि विरूद्ध आदेशिका दिनांक 08.02.2023 को पारित कर आगामी पेशी 13.02.2023 नियत रखी गयी। दिनांक 13.02.2023 को अधिनस्थ न्यायालय ने गत पेशी दिनांक 08.02.2023 को पारित विधि विरूद्ध आदेशिका के अनुक्रम में ही अपीलान्ट पर प्रकरण हाजा में पर्याप्त एवं सम्यक रूप से तामिल नहीं होने के बावजूद अपीलान्टस को सुनवाई के अधिकार से वंचित कर कतई अवैध विधि–विरूद्ध प्रक्रिया अपनाई कतई अवैध रूप से बेदखली का उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार अजीतगढ़ द्वारा पारित उक्त प्रश्नगत निर्णय दिनांक 13.02.2023 कतई अवैध अनुचित एवं विधि विरूद्ध है जो न्यायिक प्रक्रिया के सर्वमान्य नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त को दरगुजर कर मनमाने ढंग से मात्र खाना पूर्ति किये जाने के मकसद से अवैद्यानिक तरीके से पारित किया है जिससे अपीलान्टस को सख्त हकतल्फी है, जिसके विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

अपील अपीलान्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई एवं जरीये नोटिस रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की तामिल जरिये रजिस्ट्री भेजी गई थी जिनको एक माह से अधिक का समय हो चूका है। जिसके बावजूद भी रेस्पोडन्ट अनुपस्थित रहे है। पत्रावली बहस में चल रही थी जिसमें दिनांक 07.02.2024 निर्धारित थी। नीम का थाना अभिभाषक संघ द्वारा अदालती कार्य का स्थगन होने पर पत्रावली आज दिनांक 09.02.2024 को वास्ते बहस नियत कि गई। परन्तु अभिभाषक संघ द्वारा आज दिनांक 09.02.2024 को भी अदालती कार्य का स्थगन रखा गया है। वकील अपीलान्ट अनुपस्थित रहे व अपीलान्ट नन्द सिंह उपस्थित आये साथ ही अपीलान्ट ने गणेशराम पुत्र गोपाल राम गुर्जर, आन्नदी लाल पुत्र गोपाल राम गुर्जर व रोहिताश पुत्र छीतरमल गुर्जर के शपथ पत्र पेश किये जिनको शामिल पत्रावली किया गया। अपीलान्ट को सुना गया व पत्रावली को मैरिट पर देखा गया।

अपील व अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम बाद अवलोकन न्याय हित में स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी हल्का का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि अपीलान्ट नन्द सिंह व अन्य के द्वारा भूमि खसरा 51 रकबा 2.15 है0, किस्म बंजड–2 तन ग्राम देवीपुरा में से 0.15 है0 एवं खसरा नं. 34 रकबा 1.44 है0 बंजड़–2 में से 0.40 है0 भूमि पर पत्थर व तार मिट्टी कि डोल लगाकर अतिक्रमण करना बताया है। जिसके साथ पटवारी हल्का द्वारा नजरी नक्शा भी तैयार किया गया। इस संबंध में दिनांक 17.07.2023 को उप–तहसीलदार, अजीतगढ़ के आदेशानुसार पटवारी हल्का हाथीदेह, पटवारी हल्का हथोरा, पटवारी हल्का हरदास का बास एवं पुलिस जाप्ते के साथ ग्राम देवीपुरा की भूमि खसरा नं. 51 व 34 के मौके पर राजस्व रिकार्ड के साथ पहुँचे जिसमें भी अपीलान्ट को अतिक्रमी बताया गया है एवं आवश्यक संसाधन(जेसीबी) के अभाव में खसरा नं. 51 का अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका जिससे यह तो स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। अधिनस्थ न्यायालय के [illegible]क 13.02.2023 को पारित निर्णय के अवलोकन से पाया गया कि दिनांक 08.02.2023 की त[illegible] जवाब प्रस्तुत करने हेतु नियत की गई थी। परन्तु अप्रार्थीगण/अपीलान्ट द्वारा को[illegible] किये गये है एवं दिनांक 13.02.2023 को गैर सायलान अनुपस्थित रहने [illegible] कार्यवाही अमल में लायी गई इससे यह प्रतीत होता है कि गैर सायलान/अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया है। नायब तहसीलदार अजीतगढ़ द्वारा दिये गये आदेशानुसार पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 17.07.2023 को मौके पर जाकर फर्द मौका रिपोर्ट तैयार कर कार्यालय में पेश की गई थी। इन समस्त तथ्यों के आधार पर यह तो स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:15:01 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट

जिसमें कोई त्रृटि नहीं पायी जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिपूर्वक प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना करते हुये निर्णय पारित किया गया है। इस आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.02.2023 को पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप इस स्तर पर किया जाता उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने से खारिज किया जाता उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहिन होने से खारिज कि जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय के मुकदमा नम्बर 290/2022–23, उनवानी सरकार बनाम नन्द सिंह वगै. में पारित निर्णय दिनांक 13.02.2023 यथावत रखा जाता है। निर्णय की पालना हेतु उप–तहसीलदार अजीतगढ़ को तहरीर जारी कि जावें।

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना, सीकर

उक्त आदेश आज दिनांक 09.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना, सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:15:01 IST
Reason: SelfAttested